प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 370 सन 2022

अनवान :–

1. गुरमुख पुत्र करतारसिह जाति जटसिख निवासी जसाना हाल पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

वादी

बनाम

1. बिकरसिह पुत्र बसाखसिह जाति जटसिख निवासी जसाना हाल पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
2. गुरदेवसिह पुत्र बसाखसिह जाति जटसिख निवासी जसाना हाल पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 9/12 की कुल 0.9740हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह , बिकरसिह, गुरमुखसिह पि0 बसाखासिह के नाम दर्ज है।

वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज है करतारसिह पुत्र बसाखासिह जाति जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत दिनांक 02.07.1996 को अपने पुत्र गुरमुख पुत्र करतारसिह वादी के पक्ष मे तहरीर एवं पंजीबद्व करवाई गई थी करतारसिह पुत्र बसाखासिह का देहान्त हो चुका है करतारसिह पुत्र बसाखासिह के देहान्त होने पर करतारसिह पुत्र बसाखासिह के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज भूमि करतारसिह पुत्र बसाखासिह की वसीयत के अनुसार वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज है करतारसिह पुत्र बसाखासिह जाति जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिनांक 02.07.1996 को अपने पुत्र गुरमुख पुत्र करतारसिह वादी के पक्ष मे तहरीर एवं पंजीबद्व करवाई गई थी करतारसिह पुत्र बसाखासिह का देहान्त हो चुका है करतारसिह पुत्र बसाखासिह के देहान्त होने पर करतारसिह पुत्र बसाखासिह के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 9/12 की कुल 0.9740हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह , बिकरसिह, गुरमुखसिह पि0 बसाखासिह के नाम दर्ज है।

वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज है करतारसिह पुत्र बसाखासिह जाति जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत दिनांक 02.07.1996 को अपने पुत्र गुरमुख पुत्र करतारसिह वादी के पक्ष मे तहरीर एवं पंजीबद्व करवाई गई थी करतारसिह पुत्र बसाखासिह का देहान्त हो चुका है करतारसिह पुत्र बसाखासिह के देहान्त होने पर करतारसिह पुत्र बसाखासिह के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 9/12 की कुल 0.9740हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह , बिकरसिह, गुरमुखसिह पि0 बसाखासिह के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे करतारसिह पुत्र बसाखासिह के नाम से दर्ज है करतारसिह पुत्र बसाखासिह जाति जटसिख ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत दिनांक 02.07.1996 को अपने पुत्र गुरमुख पुत्र करतारसिह वादी के पक्ष मे तहरीर एवं पंजीबद्व करवाई गई थी करतारसिह पुत्र बसाखासिह का देहान्त हो चुका है करतारसिह पुत्र बसाखासिह के देहान्त होने पर करतारसिह पुत्र बसाखासिह के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं पजीबद्व वसीयत जिसके सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0120हैक भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि करतारसिह पुत्र बसाखासिह जाति जटसिख के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर